न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :— 116/2021
CIS No. :— TS/116/2021
CNR No. :— BRWC22–000180–2021

असलम प्रवेज बनाम् **मोजम्मिल हुसैन एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
16.02.2022	अभिलेख पेश हुयी। वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी की ओर से आज प्रार्थनापत्र समर्थित शपथपत्र, प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता समर्थित शपथपत्र एवं प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता समर्थित शपथपत्र दाखिल किया गया। **निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांक**—16.02.2022 वादी द्वारा एक प्रार्थनापत्र समर्थित शपथपत्र दिनांक 16.02.2022 प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र में कथित आधारो पर प्रस्तुत वाद में पूर्व निर्धारित तिथि 28.02.2022 को वापस लेकर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई किये जाने की याचना की गई है। सुना तथा वादी के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं मामले की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए वाद में पूर्व से निर्धारित तिथि को रिकाल किया जाता है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष—4, नरकटियागंज।	
क्रमशः **16.02.2022**	वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर वादी अधिवक्ता को सुना गया। **निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांक**—16.02.2022 प्रार्थनापत्र दिनांक—16.02.2022 वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26	

न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 116/2021
CIS No. :– TS/116/2021
CNR No. :– BRWC22–000180–2021

असलम प्रवेज बनाम् **मोजम्मिल हुसैन एवं अन्य**

लगातार **16.02.2022**	नियम 9 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित स्थल पर निर्माण हेतु निर्माण सामाग्री इकट्ठा की जा रही है। वे लोग कभी भी विवादित स्थल से वादी को बेदखल करके निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। जिससे विवादित स्थल का वर्तमान स्वरूप परिवर्तित हो जायेगा। अत: वादपत्र में वर्णित भूखण्ड का निरीक्षण अधिवक्ता आयुक्त के द्वारा किये जाने की याचना की गई है। सुना तथा अभिलेख का सम्यक परिशीलन किया। प्रार्थनापत्र समर्थित शपथपत्र दिनांक 16.02.2022 वादी द्वारा विवादित स्थल का निरीक्षण जरिये न्यायालय अधिवक्ता आयुक्त कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। विवादित स्थल की मौजूदा स्थिति एवं नजरी नक्शा यदि किसी स्वतंत्र माध्यम से न्यायालय के समक्ष आ जाती है तो ऐसे में वाद में निहित मुद्दों को अंतिम एवं वास्तविक रूप से निस्तारित करने में निश्चित ही सहायता मिलेगी। प्रार्थनापत्र शपथपत्र दिनांक 16.02.2022 तदनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है। **आदेश** प्रार्थनापत्र दिनांक 16.02.2022 मात्र विवादित स्थल का निरीक्षण कर उसकी वस्तुस्थिति एवं नजरी नक्शा प्रस्तुत किए जाने हेतु स्वीकार किया जाता है। वादी वास्ते कराये जाने निरीक्षण जरिये अधिवक्ता आयुक्त श्री अभय कुमार शुक्ला (Reg. No. BR/1946/2018), विद्वान अधिवक्ता को वादी के रू० 2500/– खर्चे पर नियुक्त किया जाता है। कार्यालय संबंधित अधिवक्ता को रिट जारी करे। न्यायालय अधिवक्ता आयुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विवादित स्थल की वस्तुस्थिति के संबंध में पूर्ण	

न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :— 116/2021
CIS No. :— TS/116/2021
CNR No. :— BRWC22–000180–2021

असलम प्रवेज बनाम् **मोजम्मिल हुसैन एवं अन्य**

<u>लगातार</u> **16.02.2022**	आख्या एवं नजरी नक्शा अग्रिम नियत तिथि दिनांक 28.02.2022 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वादी वास्ते कराये जाने निरीक्षण जरिये अधिवक्ता आयुक्त नियमानुसार पैरवी अन्दर 7 दिन में करना सुनिश्चित करे। अभिलेख प्रस्तुति अधिवक्ता आयुक्त आख्या/अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28.02.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष—4 नरकटियागंज	